

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला-ग्वालियर

(म0प्र0)

R. 647-#47



श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर  
आज दि 17-12-16 को  
प्रस्तुत

श्रीलाल जी सिंह तनय केशव लाल सिंह सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल  
जिला-सीधी म0प्र0  
सजस्व मण्डल ग्वालियर  
आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीलाल सिंह तनय केशव लाल सिंह सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल  
जिला-सीधी म0प्र0

पदुम सिंह तनय केशव लाल सिंह सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल  
जिला-सीधी म0प्र0

- 3- विद्यावती पत्नी स्व0 रमानुज सिंह
- 4- देवेन्द्र सिंह पिता स्व0 रमानुज सिंह
- 5- सीवेन्द्र सिंह पिता स्व0 रमानुज सिंह
- 6- गोविन्द्र सिंह पिता राघव प्रताप सिंह सभी सा0 पहाड़ी तहसील सिहावल जिला-सीधी म0प्र0
- 7- म0प्र0 शासन

—अनावेदकगण / उत्तरार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक-22.12.2016 द्वारा प्रदीप सिंह चौहान नायब तहसीलदार सिहावल तहसील सिहावल के न्यायालय मे लंबित प्रकरण क्र. 76/अ-27/2016-17 व उन्मान लालजी सिंह विरुद्ध श्रीलाल सिंह वगैरह

मान्यवर,

प्रस्तुत है :-

निवेदन है कि निम्न तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र

1-

यह कि आवेदक राजस्व मण्डल ग्वालियर


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

83

प्रकरण क्रमांक R/677/II/12, सीधी,

लाभजी / सीधाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-17	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>योगेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक <u>सिंहावल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>76/3A-27/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22/12/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18-4-17</u> को कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	